न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 46 / 2025(GCMS 2025/256)

(आरटीआई संख्या 212277234959792)

श्री रोबिन अग्रवाल साकिन चक 5 ई छोटी, 32 / 33 वृद्धाश्रम रोड़, श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रोबिन अग्रवाल स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2025 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रोबिन अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर के आदेश पर जन्म मृत्यु पंजीकरण शाखा नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.01.2025 को जारी किए गए एवं सम्बन्धित विभाग को इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन, संलग्न साक्ष्य, सहयोगी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।
2. तहसील कार्यालय, श्रीगंगानगर परिसर में निर्माणाधीन भवन के संबंध में
   –उक्त भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति।
   –उक्त भवन की प्रमाणित नक्शा की प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

– उक्त भवन निर्माण पर खर्च राशि एवं वास्तविक लागत

–उक्त भवन की मंजूरी की प्रमाणित प्रति।

–उक्त भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट

–उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगने वाली तय समय सीमा

–उक्त भवन निर्माण का उद्देश्य, भवन का उपयोग एवं भवन में संचालित होने वाले विभागों का विवरण

–उक्त भवन निर्माण के लिए खर्च की राशि की स्वीकृति।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक विविध/2024/32 दिनांक 23.06.2025 से अपीला का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

प्रार्थी श्री रोबिन अग्रवाल का सूचना के अधिकार नियम के तहत वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत दिनांक 09.05.2025 को प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना मे बिन्दू संख्या 01 प्रश्नवाचक होने के कारण व बिन्दू संख्या 02 उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर के सबंधित होने के कारण तहसील कार्यालय के पत्रांक विविध/2025/14 व 15 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा प्रार्थी रोबिन सिहं को सूचना साधारण डाक से प्रेषित कर सूचित किया गया तथा बिन्दू संख्या 02 की सूचना प्रार्थी को निर्धारित समयवाधि में उपलब्ध करवाने बाबत सूचना के अधिकार नियम के तहत प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर को किया गया था।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 (3) के अनुसार प्रार्थी की सूचना अन्य कार्यालय से सबंधित होने के कारण संबधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 05 दिवस मे ही प्रेषित कर प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 7 के तहत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक माह से पूर्व ही नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई प्रार्थी को प्रेषित सूचना के पत्र की प्रति व अन्य कार्यालय में प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है की प्रार्थी के प्राप्त प्रार्थना पत्र का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि मे निस्तारण कर दिया गया था। अतः श्रीमानजी उक्त तथ्यो व साक्ष्यों को अवलोकन कर अपील निरस्त करने की कृपा करें।

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 243 दिनांक 12.06.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 02 में तहसील कार्यालय परिसर, श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में सूचना चाही है, [illegible] क्रम में यह है कि इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड कार्यालय [illegible] नहीं किया जाता है। दी गयी सूचना से अस[illegible] की [illegible] आप श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़–वृत्त के समक्ष प्राप्त अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार, श्रीगंगानगर** द्वारा बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु संख्या 02 की सूचना उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है और **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के अनुसार उप पंजीयक के विरूद्ध** प्रथम अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षर को न होने के कारण, बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर